

न्यायालय सहायक कलक्टर सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी डॉ. दिव्या RAS

वादपत्र संख्या 250 / 2021

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं
धारा 136 रा. भू. राजस्व अधिनियम
अनुवान किशनलाल आदि बनाम राजस्थान सरकार व अन्य
निर्णय दिनांक 16.12.2024

1. किशनलाल पुत्र मनफुलराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।
2. भैराराम पुत्र मनफुलराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसील भानीपुरा जिला चूरु राजस्थान।
2. ख्यालीराम पुत्र धन्नाराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।
3. राजूराम पुत्र धन्नाराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।
4. इम्रावती पत्नी ख्यालीराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।
5. सुखनाथ पुत्र श्रवणनाथ जाति सिद्ध निवासी सिकराली तहसील रतनगढ जिला चूरु।
6. केशर पत्नी श्योजीराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।
7. कानाराम पुत्र श्योजीराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।
8. बजरंग लाल पुत्र श्योजीराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।
9. भंवरलाल पुत्र श्योजीराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।
10. श्योनारायण पुत्र अमराराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति:-

1. श्री कालीचरण शर्मा एडवोकेट वास्ते वादीगण।
2. तहसीलदार भानीपुरा वास्ते प्रतिवादी संख्या 1
श्री राजकुमार गहनोलिया वास्ते प्रतिवादीगण संख्या 2 तो 10

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 ने स्वयं उपस्थित होकर इकबाल जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 राजपैरोकार ने जवाब पेश किया। दावा वादी डिक्री होने में राज्य पक्ष का कोई अहित नहीं होना अंकित किया। पत्रावली पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन व मनन किया। बहस पर मनन किया। विभाजन पत्र दिनांक 13.08.2009, नामान्तरण संख्या 1203 खसरा नं. 47, 304, 414 तादादी 216 बिघा 13 बिश्वा रोही भोजासर बड़ा नामान्तरण संख्या 1890, 1845 जमाबंदी खसरा नं 497, 729, 75 रोही भोजासर बड़ा सम्वत 2073 से 76, जमाबंदी खसरा नं 730, 919/76 सम्वत 2073 से 76, जमाबंदी खसरा नं 920/76 सम्वत 2073 से 76 व जमाबंदी खसरा नं 496 सम्वत 2073 से 76 एवं जमाबंदी खसरा नं 502, 731, 77 रोही भोजासर बड़ा सम्वत 2073 से 76 का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन व मनन वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।



उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (रज)

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार भानीपुरा को आदेशित किया जाता है कि रोही ग्राम भोजासर बड़ा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 तो 10 की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में मौका कब्जा काश्त के विपरित अशुद्ध दर्ज चली आ रही है जिसमें शुद्धिकरण किया जाकर वर्तमान खसरा नं 63 तादादी 7.3800 हैक्टेयर रोही भोजासर बड़ा जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 (ख्यालीराम, राजूराम) के नाम खातेदारी है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम हटाया जाकर उक्त खसरा भूमि में से वादी संख्या 1 के नाम 3.9700 हैक्टेयर व शेष भूमि 3.4100 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज की जावें एवं वर्तमान खसरा नं. 919/76 तादादी 3.9700 हैक्टेयर जो राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जिसमें से वादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर उक्त खसरा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 (राजूराम) के नाम दर्ज किया जावें एवं वर्तमान खसरा नं 920/76 तादादी 3.4200 हैक्टेयर जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के नाम दर्ज है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का नाम हटाया जाकर उक्त खसरा भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज किया जावें। इसी प्रकार खसरा नं. 502 तादादी 3.4400 हैक्टेयर जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के नाम खातेदारी दर्ज है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि को वादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावें। वर्तमान खसरा नं. 496 तादादी 3.4400 हैक्टेयर जो राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 2 के नाम दर्ज चली आ रही है जिसमें वादी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त खसरा भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे। वर्तमान खसरा नं. 501 तादादी 3.4400 हैक्टेयर जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम हटाया जाकर उक्त खसरा भूमि को प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के बहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज किया जावे। वर्तमान खसरा नं 730 तादादी 2.8800 हैक्टेयर जो वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है जिसमें वादीगण का नाम खातेदारी से हटाया जाकर उक्त खसरा भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज किया जावे एवं खसरा नम्बर 732 तादादी 2.8700 हैक्टेयर जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम खातेदारी में चला आ रहा है। जिसमें से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम खातेदारी से हटाया जाकर उक्त खसरा भूमि को वादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड शुद्धिकरण किया जावे। तहसीलदार भानीपुरा को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त कर निर्णय की पालना सुनिश्चित करावें। शेष प्रविष्टियां यथावत रखी जाती है। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।



Wanyo
उपर(बाँड) अधिकारी
सहायक कलेक्टर
सरदारशहर (बुरु)

निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Wanyo
उपर(बाँड) अधिकारी
सहायक कलेक्टर
सरदारशहर (बुरु)

डिक्री व मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम सरदारशहर व बड़जलास डॉ. दिव्या(आर.ए.एस.)

अनुवान किशनलाल आदि बनाम राजस्थान राज्य व अन्य

वाद पत्र सं. 250/2021

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं

धारा 136 रा. भू. राजस्व अधिनियम

1. किशनलाल पुत्र मनफुलराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।
2. भैराराम पुत्र मनफुलराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।

-वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसील भानीपुरा जिला चूरु राजस्थान।
2. ख्यालीराम पुत्र धन्नाराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।
3. राजूराम पुत्र धन्नाराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।
4. इम्रावती पत्नि ख्यालीराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।
5. सुखनाथ पुत्र श्रवणनाथ जाति सिद्ध निवासी सिकराली तहसील रतनगढ जिला चूरु।
6. केशर पत्नि श्योजीराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।
7. कानाराम पुत्र श्योजीराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।
- बजरंग लाल पुत्र श्योजीराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।
- भंवरलाल पुत्र श्योजीराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।
- श्योनारायण पुत्र अमराराम जाति ब्राह्मण निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरु।

-प्रतिवादीगण



यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री कालीचरण शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुदई व श्री राजकुमार गहनोलिया, पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार भानीपुरा को आदेशित किया जाता है कि रोही ग्राम भोजासर बड़ा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 तो 10 की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में मौका कब्जा काश्त के विपरित अशुद्ध दर्ज चली आ रही है जिसमें शुद्धिकरण किया जाकर वर्तमान खसरा नं 63 तादादी 7.3800 हैक्टेयर रोही भोजासर बड़ा जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 (ख्यालीराम, राजूराम) के नाम खातेदारी है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम हटाया जाकर उक्त खसरा भूमि में से वादी संख्या 1 के नाम 3.9700 हैक्टेयर व शेष भूमि 3.4100 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज की जावें एवं वर्तमान खसरा नं. 919/76 तादादी 3.9700 हैक्टेयर जो राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जिसमें से वादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर उक्त खसरा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 (राजूराम) के नाम दर्ज किया जावें एवं वर्तमान खसरा नं 920/76 तादादी 3.4200 हैक्टेयर जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के नाम दर्ज है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का नाम हटाया जाकर उक्त खसरा भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज किया जावें। इसी प्रकार खसरा नं. 502 तादादी 3.4400 हैक्टेयर जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के नाम खातेदारी दर्ज है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि को वादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावें। वर्तमान खसरा नं. 496 तादादी 3.4400 हैक्टेयर जो राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 2 के नाम दर्ज चली आ रही है जिसमें वादी संख्या 2 का नाम राजस्व

रिकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त खसरा भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे।
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरु)

वर्तमान खसरा नं. 501 तादादी 3.4400 हैक्टेयर जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम हटाया जाकर उक्त खसरा भूमि को प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के बहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज किया जावे। वर्तमान खसरा नं 730 तादादी 2.8800 हैक्टेयर जो वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है जिसमें वादीगण का नाम खातेदारी से हटाया जाकर उक्त खसरा भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज किया जावे एवं खसरा नम्बर 732 तादादी 2.8700 हैक्टेयर जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम खातेदारी में चला आ रहा है। जिसमें से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम खातेदारी से हटाया जाकर उक्त खसरा भूमि को वादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड शुद्धिकरण किया जावे। तहसीलदार भानीपुरा को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त कर निर्णय की पालना सुनिश्चित करावें। शेष प्रविष्टियां यथावत रखी जाती है।

.....बीज मुबलिंग

..बावत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 12 सन् 2024 को जारी की गई।



(Signature)
 ज. वि. (नार. प. एस.)
 सहायक कलेक्टर
 सरदारशहर (चूक)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सवूत	00	00	महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बावत इजराय हुक्मनामा	00	00
बावत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफर्रिक	00	00
मुतफर्रिक	02	00			
मिजान	07	00	मिजान	01	00